



सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-4, खण्ड (ख)

(परिनियत आदेश)

लखनऊ, सोमवार, 31 अगस्त, 2026

भाद्रपद 9, 1948 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-4

संख्या 1681/81-4-2026

लखनऊ, 31 अगस्त, 2026

अधिसूचना

प0आ0-469

साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 (अधिनियम संख्या 10 सन् 1897) की धारा 21 के साथ पठित वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (अधिनियम संख्या 53 सन् 1972) की धारा 26क की उपधारा (1) के खण्ड (ख) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल सरकारी अधिसूचना संख्या 1529/81-4-2024, दिनांक 27 दिसम्बर, 2024 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात:-

संशोधन

पूर्वोक्त अधिसूचना में, पैरा 7 में "इस शर्त के साथ कि अभयारण्य में इस अतिरिक्त रूप से सम्मिलित किये गये क्षेत्र की सीमा के चारों ओर पारिस्थितिकी संवेदनशील परिक्षेत्र को शून्य किलोमीटर रखा जाएगा" शब्दों को दिनांक 27 दिसम्बर, 2024 से निकाला गया समझा जायेगा।

2-पूर्वोक्त अधिसूचना की अन्य समस्त निबन्धन एवं शर्तें अपरिवर्तित रहेंगी।

आज्ञा से,
वी0 हेकाली झिमोमी,
प्रमुख सचिव।

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 1681/LXXXI-4-2026 dated August 31, 2026 :

No. 1681/LXXXI-4-2026

Dated Lucknow, August 31, 2026

In exercise of the powers under Clause (b) of sub-section (1) of Section 26A of the Wild Life (Protection) Act, 1972 (Act no.53 of 1972) read with Section 21 of the General Clauses Act, 1897 (Act no. 10 of 1897), the Governor is pleased to make the following amendment in Government notification no. 1529/81-4-2024, dated December 27, 2024, namely: –

AMENDMENT

In the aforesaid notification, in paragraph-7, the words "with the condition that the Eco-Sensitive Zone around the boundary of this additionally included area in the sanctuary shall be kept zero Kilometers" shall be deemed to be omitted with effect from December 27, 2024.

2. All other terms and conditions of the aforesaid notification shall remain unchanged.

By order,
V. HEKALI ZHIMOMI,
Pramukh Sachiv.